वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2017-अग्रहायण 3, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम निरीक्षना वाघ था. लेकिन मेरी अंकसूची, आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड में निर्मला वाघ नाम अंकित है, जो सही है. में निर्मला वाघ के नाम से ही जानी-पहचानी जाती हूँ.

मुझे निर्मला वाघ नाम से पुकारा जाता है.

पुराना नाम :

(निरीक्षना वाघ)

नया नाम :

(निर्मला वाघ)

14, टापू मोहल्ला, महावीर कॉलोनी,
गिर्द, दाल बाजार, ग्वालियर (म.प्र.).

(517-बी.)

CHANGE OF NAME

It is to be notified that I, Sanjay Kumar Gupta S/o Gopi Lal Gupta Permanent Address E-1/504, Globus Green Acres Nayapura Lalghati, Bhopal, Madhya Pradesh-462030 declare that I have changed my name from Sanjay Kumar Gupta to Sanjay Lakhotia S/o Late Gopi Lal Lakhotia I declare that from now I will be known as Sanjay Lakhotia in all the government and Non Government documents.

Old Name:

(SANJAY KUMAR GUPTA)

New Name :

(SANJAY LAKHOTIA)

(518-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, हरिशंकर वल्द स्व. खरगे कार्यालय, कार्यपालन यंत्री (ई.एच.टी.) निर्माण संभाग मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं. लि., सागर में सी.ए. ग्रेड-2 के पद पर सेवारत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम के आगे चमार लिखा है. जिसे मैंने बदलकर अब हरिशंकर अहिरवार कर लिया है. अत: अब मेरे सभी शासकीय अभिलेखों में मुझे हरिशंकर अहिरवार पढ़ा व लिखा एवं जाना जावे.

पुराना नाम :

(हरिशंकर चमार)

नया नाम :

(हरिशंकर अहिरवार)

(514-बी.)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विद्या हरचन्दानी पुत्री श्री गोवर्धनदास हरचन्दानी, निवासी बैरागढ़, भोपाल अंकित था, जिसे मेरे विवाह उपरांत परिवर्तन कर श्रीमती वंदना चॉदवानी पत्नी श्री संजय चॉदवानी हो गया है. अत: समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में अब मैं श्रीमती वंदना चॉदवानी नाम से जानी जाती हूँ.

पुराना नाम : नया नाम :

(विद्या हरचन्दानी) **(वंदना चांदवानी)**

(515-बी.) **(VANDANA CHANDWANI)**

नाम परिवर्तन

गुढ़ तहसील के बंजारी, निवासी गिरीश कुमार पयासी का नाम परिवर्तन कर गिरीश मिश्रा के लिये दस्तावेज जारी किया गया है, अभी शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेज में गिरीशकुमार पयासी लिखा गया है, जिसे सुधार कर गिरीश मिश्रा लिखा जाये और पढ़ा भी जाये, यह इश्तिहार जनहित एवं शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेज में भी लिखा जाये और पढ़ा भी जाये, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, अत: भविष्य में गिरीश कुमार पयासी की जगह गिरीश मिश्रा माना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(गिरीश कुमार पयासी) **(गिरीश मिश्रा)**

निवासी-ग्राम बंजारी, तहसील थाना गुढ़,

(516-बी.) जिला रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम पूजा आसोपिया था, किन्तु अब मैंने इसे बदलकर कृतिका आसोपिया कर लिया है. अत: अब से मुझे मेरे नये नाम कृतिका आसोपिया से लिखा-पढ़ा एवं जाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(पूजा आसोपिया) **(कृतिका आसोपिया)**

(521-बी.) रंगवासा रोड, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

That I was known as Sukhdev Prasad I, have changed my name and henceforth I shall be known as Sukhdev Prasad Kushwah S/o Shri Mohan Lal, Resident of 304/D-3, Gohalpur Amkhera Road, Nai Basti No.2, Jabalpur, M.P. 482002.

Old Name: New Name :

(SUKHDEV PRASAD) **(SUKHDEV PRASAD KUSHWAH)**

(498-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कपिल कुमार कुकरेजा जो कि मेरे बीमा पॉलिसी में दर्ज है जबकि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं बैंक आदि में मेरा नाम कपिल बजाज ये दोनों ही मेरे स्वयं के नाम हैं तथा मुझे बीमा कम्पनी में भी कपिल बजाज के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम : नया नाम :

(कपिल कुमार कुकरेजा) **(कपिल बजाज)**

स्थान-B-142, समाधिया कॉलोनी तारागंज,

(520-बी.) लश्कर, ग्वालियर.

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत सूचना-पत्र)

फर्म मैसर्स OASIS RESORTS का नाम दिनांक 13-11-2017 से परिवर्तन कर CLARKS RESORT किया जा रहा है.

धीरेश निगम,

(भागीदार)

(519-बी.) 11, वर्धमान परिसर, चुना-भट्टी, भोपाल.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र.08/बी/113-2017-18. **प्रारूप-तृतीय**

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि सचिव श्री प्रभाकर पिता रतिलाल जाधव, निवासी दत्त मंदिर के पास लालबाग द्वारा भक्त सूरदास दत्त मंदिर ट्रस्ट लालबाग, तहसील बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	वर्किंग ट्रस्टी एवं सचिव श्री प्रभाकर रतिलाल दत्त मंदिर के पास लालबाग द्वारा भक्त सूरदास ट्रस्ट दत्त मंदिर ट्रस्ट लालबाग दत्त मंदिर के पास, तहसील बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति	:	500/-
3. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम चिंचाला में खसरा नंबर 197/3, रकवा 5200 वर्गफिट जो वाउन्ड्रीवाल से घिरी हुई है.

सोहन कनाश,
पंजीयक.

(1640)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग करैरा, जिला शिवपुरी

प्र.क्र./02/2017-18/बी-113(1). करैरा, दिनांक 07 अक्टूबर, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम,1951 (1951 की धारा-30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

प्रेमबाबू पुत्र गोवर्धनदास अग्रवाल, निवासी मगरौनी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 की धारा-30) की धारा-4 के लिये अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को विचार के लिये दिया जायेगा. कोई व्यक्ति जो इस न्यास या सम्पत्ति से हित रखता है और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागी अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाला और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक..... से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष दिनांक को या तो व्यक्ति या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री श्री 1008 महात्मा पूरनदास सेवा ट्रस्ट मगरौनी, जिला शिवपुरी.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण—	:	
2. चल सम्पत्ति	:	एस. बी. आई., मगरौनी 36178190365 रुपये 19098/- ग्रामीण बैंक मगरौनी 8022559839 रुपये 11785/- ग्रामीण बैंक मगरौनी 8022569535 रुपये 151291/- एफ. डी. एस. बी. आई. मगरौनी 36442313027 रुपये 3,00,000/-
3. अचल सम्पत्ति	:	निर्मित मंदिर एवं चारों ओर पांच फुट की पक्की दीवार एवं कथास्थल भवन, पक्की मूर्ति हनुमानजी, गणेश जी, नवग्रह, शिवदरबार, बाबा पूरनदास जी की समाधि, राम मंदिर, माता मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर एवं संगमरमर की मूर्तियां. कटरा बाजार में दुकान 45x36 फुट एवं भूमि सर्वे नंबर 1310, 1311, 1313, 1314, 1315 रकबा 0.14, 0.30, 0.05, 0.11, 0.08 हे.

सी. बी. प्रसाद,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(1672)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), जिला दमोह

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह, जिला दमोह के समक्ष.

यत: कि अध्यक्ष ब्रम्हचारिणी रश्मि जैन पुत्री शुदर्शन जैन सर्वतोभद्र विद्याश्रमी आश्रम न्यास दमोह, तहसील....., दमोह....., ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर 29 नवम्बर, 2017 को 2 बजे कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम	:	श्री शुदर्शन जैन, सर्वतोभद्र विद्याश्रमी आश्रम, न्यास दमोह.
संपत्ति	:	निरंक.

सी. पी. पटैल,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(1673)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अटेर, जिला-भिण्ड

प्र.क्र.01/2017-18/बी-113. दिनांक 02 नवम्बर, 2017

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री कृपाशंकर बाजपेयी, निवासी टैगोर नगर, जिला ग्वालियर ने श्री मातेश्वरी शक्तिधाम मंदिर धर्मार्थ पब्लिक ट्रस्ट ग्राम बढ़पुरी, तहसील अटेर, जिला भिण्ड गठन किये जाने बावत् आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 को विचार में लिया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो अथवा कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में अभिभाषक के माध्यम से या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री मातेश्वरी शक्तिधाम मंदिर धर्मार्थ पब्लिक ट्रस्ट, ग्राम बढ़पुरी, तहसील अटेर, जिला भिण्ड (म.प्र.).
चल संपत्ति	:	भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 33544569701 में जमा राशि रुपये 1523/- मात्र.
अचल संपत्ति	:	ग्राम रमटा स्थित भूमि सर्वे नं. 149 रकवा 0.270 सर्वे नं. 176 रकवा 0.030 हे.

अनिल बनवारिया,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(1674)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

हरिजन खदान कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., रामपुर, जिला ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./278, दिनांक 07 सितम्बर, 2000 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2477, दिनांक 13 सितम्बर, 2004 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री अजय दुवे, सहकारी निरीक्षक ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिर्पोट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन खदान कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था मर्या., रामपुर, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

(1671)

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश शासन, सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम-57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1127.—सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों को जानकारी के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला भिण्ड के आदेशानुसार निम्न सहकारी समितियां जिनके आगे पंजीयन क्रमांक एवं परिसमापन आदेश दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लायी गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., मुड़ियाखेरा	519/14-03-1988	677/12-06-2017
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., फूप	456/12-03-1988	677/12-06-2017
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., डिडी खुर्द	515/14-03-1988	677/12-06-2017
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., पुर	505/16-03-1985	677/12-06-2017
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., बाराकलां	518/16-03-1985	677/12-06-2017
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., नुन्हटा	2157/25-03-1987	677/12-06-2017
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्थाएं मर्या., चरथर	368/29-03-1986	677/12-06-2017
8.	चम्बल घाटी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दबोहा	267/06-02-1974	677/12-06-2017

1	2	3	4
9.	बहुकारिनी सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., घनश्यामु पुरा	–	677/12-06-2017
10.	वनखण्डेश्वर केन्टीन एवं प्रगसंस्करण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	852/09-10-2002	677/12-06-2017
11.	वारदाना क्रय-विक्रय स्वा. सहकारिता, भिण्ड	108/01-03-2004	677/12-06-2017
12.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लहरौली	893/11-10-2004	677/12-06-2017
13.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढोंचरा	943/10-07-2006	677/12-06-2017
14.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विजपुरी	927/30-12-2005	677/12-06-2017
15.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., परसाना	944/10-07-2006	677/12-06-2017
16.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाराखुर्द	–	677/12-06-2017
17.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., दबोहा	148/30-09-1983	677/12-06-2017
18.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., फूप	193/27-03-1966	677/12-06-2017
19.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., कोक सिंह का पुरा	290/02-08-1980	677/12-06-2017
20.	शंकर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रामनगर भिण्ड	360/09-08-1987	677/12-06-2017
21.	हरीओम कोलियान बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	5655/10-02-1987	677/12-06-2017
22.	प्राथ. महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बाराकलां	396/09-09-1992	677/12-06-2017
23.	प्राथ. महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्या., गोहद	369/23-04-1992	677/12-06-2017
24.	जनता बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	333/28-02-1968	677/12-06-2017
25.	आजाद बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	266/31-12-1966	677/12-06-2017
26.	बुनकर सहकारी संस्था मर्या., हीरालाल का पुरा	284/17-04-1977	677/12-06-2017
27.	अन्नपूर्णा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	70/05-05-1989	677/12-06-2017
28.	चेतन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	367/04-04-1992	677/12-06-2017
29.	आदर्श पावर लूम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	914/22-04-1988	677/12-06-2017
30.	स्वदेशी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	277/23-05-1978	677/12-06-2017
31.	सन्त कबीर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	159/25-01-1996	677/12-06-2017
32.	आदर्श बुनकर सहकारी संस्था मर्या., शिवहरे का पुरा	298/10-07-1978	677/12-06-2017
33.	मेमिन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	193/09-01-1970	677/12-06-2017
34.	गान्धी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., सुन्दरपुरा, भिण्ड	251/14-04-1973	677/12-06-2017
35.	माँ पीताम्बरा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अकोड़ा	955/26-07-2009	677/12-06-2017
36.	शीतला माँ महिला प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., भिण्ड	–	677/12-06-2017
37.	वलदेवगिरी प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अकोड़ा	132/28-05-2004	677/12-06-2017
38.	सेवा प्राथमिक स्वा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अकोड़ा	136/25-06-2004	677/12-06-2017
39.	ऊषा किरण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड	121/24-03-1955	677/12-06-2017

अत: मैं, मनोज कुमार मनकेले, स. नि. एवं परिसमापक, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपने दावे एवं आपत्तियां प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला भिण्ड (जिला पंचायत परिसर) में प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी. उपलब्ध रिकार्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों, व्यक्तियों के पास उक्त समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ वही एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 2 माह के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा करें अन्यथा अवधि समाप्त होने पर किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

मनोज कुमार मनकेले,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1641)

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1596.—महावीर जैन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.र./458, दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/1330 रतलाम, दिनांक 23 अगस्त, 2017 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु 15 दिवस का अवसर प्रदान किया गया था.

सोसायटी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही पक्ष समर्थन किया गया. अत: सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतित होता है.

अत: एवम् मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचन क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसयटी, रतलाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महावीर जैन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. एस. राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला रतलाम को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

परिसमापक अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर तीन माह की समयावधि में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया हैं.

परमानन्द गोडरिया,
उप-रजिस्ट्रार.

(1642)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

माँ उमिया बीज उत्पादक, सहकारी संस्था मर्या., भमौरी.

माँ उमिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमौरी जिसका पंजीयन क्रमांक 1258, दिनांक 12 नवम्बर, 2011 है. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम

की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया हैं. परन्तु यह पाया गया हैं कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि संस्था द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये. इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रेकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओं सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1643)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
लाला हरदोल फल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी
संस्था मर्या., सोनकच्छ.

लाला हरदोल फल, साग-सब्जी उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ जिसका पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 है. संस्था अध्यक्ष के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 12 अगस्त, 2017 से सदस्यों द्वारा संस्था के कार्य में रूचि नहीं एवं निर्वाचन नहीं करवाने का लेख किया है तथा वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है. परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये. इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1644)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014 है. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है. परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया

जाये. इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1645)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

विश्वास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगोद.

विश्वास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगोद जिसका पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 हैं. वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है और न ही निर्वाचन करवाये जाने हेतु संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69 (2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये. इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. संस्था के परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओं सूचना-पत्र आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता हैं.

(1646)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1615, दिनांक 23 जनवरी, 2015, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अकबर, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 08 मई, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1647)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 839, दिनांक 30 अप्रैल, 2016, अजमीढ़ साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 01 फरवरी, 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1648)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिछड़िया पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 25 अगस्त, 1989 को आदेश क्रमांक 810, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अतः मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिछड़िया का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ. एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1649)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 931, दिनांक 05 मई, 2014, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैलोद, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 03 मई, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1650)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1454, दिनांक 30 मई, 2012, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गंधर्वपुरी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 415, दिनांक 30 जनवरी, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1651)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 837, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 महाराष्ट्र परस्पर पेठी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 349, दिनांक 29 जून, 1980 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1652)

देवास, दिनांक 1 नवम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/2123.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) सी/ग के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबला खालसा पंजीयन क्रमांक 1275, दिनांक 25 फरवरी, 2012 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिपेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये.

अत: मैं, डॉ मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबला खालसा का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. के. आर्य को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ. एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मंडल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,

(1653) उप पंजीयक.

कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला वनश्रमिक सह. संस्था, देवास	351/05-07-1974	360/03-03-2015
2.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, आमला	608/11-09-1987	1646/23-09-2015
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था, मर्या., सुनवानीगोपाल	-	1441/04-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

प्रेरणा जांभेकर,

(1654) परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1573.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/599, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./672, दिनांक 02 जनवरी, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा कृष्णा महिला सिलाई, कढ़ाई बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णा महिला सिलाई कढ़ाई बुनाई सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./672, दिनांक 02 जनवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1635)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1574.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/687, दिनांक 23 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौपड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./635, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी लटेरी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौपड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, चौपड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./635, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1636)

विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2017

क्र./परि./2017/1575.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2015/1134, दिनांक 13 नवम्बर, 2015 से शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी हवेली, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./724, दिनांक 15 मार्च, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी विदिशा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी हवेली, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहतृ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिव मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी हवेली, तहसील व जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./724, दिनांक 15 मार्च, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1637)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1591.—नारी शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., महु, पोस्ट चितावर तहसील सिरोंज, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा नारी शक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., महु, पोस्ट चितावर तहसील सिरोंज, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1081, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1656)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1592.—स्टार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज किरी मोहल्ला सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा स्टार महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज किरी मोहल्ला सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1054, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1657)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1593.—सर्वोदय विक्रेता साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा सर्वोदय विक्रेता साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1059, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1658)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1594.—माँ वैष्णों महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कस्टम पथ सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा माँ वैष्णों महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कस्टम पथ सिरोंज, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1080, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1659)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1595.—चेतना महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा चेतना महिला साख सहकारी संस्था मर्या., हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1051, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1660)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1596.—पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंचायत कर्मी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1083, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1661)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1597.—ऑगनवाडी साख सहकारी संस्था मर्या., जौहद, पोस्ट जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा ऑगनवाडी साख सहकारी संस्था मर्या., जौहद, पोस्ट जौहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1085, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1662)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1598.—जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा जनपद पंचायत कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., नटेरन, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1078, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1663)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1599.—नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./876,

दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1664)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1600.—माँ अम्बा महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा माँ अम्बा महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1088, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1665)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1601.—उदय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सुनपुरा, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा उदय महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सुनपुरा, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1058, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र

की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1666)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1602.—इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1071, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1667)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1603.—अर्न्तवेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा अर्न्तवेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1075, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1668)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1604.—कुमुदनी महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी, विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा कुमुदनी महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., टीलाखेड़ी, विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1061, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1669)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1605.—यशोदा बायोप्लांटिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा यशोदा बायोप्लांटिक सहकारी संस्था मर्या., उदयपुर, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1068, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1670)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1616.—जिला परिवहन साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, जिला परिवहन साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1069, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1671)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1617.—महर्षि वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महर्षि वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1056, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1672)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1618.—श्रंगार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्रंगार साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1070, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)

के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1673)

विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1619.—बाबा रामदेव क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, बाबा रामदेव क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1066, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1674)

विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1623.—उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1062, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

(1675)

विदिशा, दिनांक 01 नवम्बर, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1624.—उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार संस्था का निर्वाचन कराने हेतु रिकार्ड/जानकारी उपलब्ध कराने एवं निर्वाचन कराने में असफल रही है तथा अंकेक्षण टीपों के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

अत: उक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, उत्थान स्वास्थ्य कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., कुरवाई, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./1063, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जारी करता हूँ.

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(1676)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1083.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2010/416, बड़वानी, दिनांक 22 जून, 2010 के द्वारा परिसमापक चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., अंजड़, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 18 जून, 1955 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सह. निरी., जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, जे. एल. बर्डे, उप-पंजीयक, बुरहानपुर एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी म.प्र. सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1677)

बड़वानी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1084.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2009/921, बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा परिसमापक चेतना

ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिदडी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 243, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सह. निरी., जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जे. एल. बर्डे, उप-पंजीयक, बुरहानपुर एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी म.प्र. सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बर्डे
उप-पंजीयक एवं
(1678) प्रभारी सहायक पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2017-अग्रहायण 3, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 जून, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव (भिण्ड), पिछोर, खनियांधाना, करैरा, कोलारस, वदरवास (शिवपुरी), राधौगढ़, बमौरी, चाचौड़ा (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), छतरपुर, विजापुर (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नोर, पवई (पन्ना), बण्डा, रेहली, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), हटा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), गोपदवनास, मझौली, रामपुरनैकिन (सीधी), श्यामगढ़ (मंदसौर), घटिया, बड़नगर (उज्जैन), जोवट, उदयगढ़ (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार, मनावर, डही (धार), बड़वाह, महेश्वर, खरगौन, भगवानपुरा, भीकनगांव, खरगौन, बड़वानी (बड़वानी), पंधाना (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), खिलचीपुर, ब्यावरा (राजगढ़), सिरोंज, बासोदा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, रहेटी, नसरूल्लागंज, बुधनी (सीहोर), बेगमगंज (रायसेन), घोड़ा डोंगरी, चिचौली, आठनेर (बैतूल), सिवनी-मालवा, बावई, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), खिड़किया, टिमरनी (हरदा), सीहोरा (जबलपुर), मण्डला, नैनपुर, निवास, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, चांद, तामिया, उमरेठ, सोंसर, अमरवाडा, बिछुआ, हर्रई (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, बरघाट, उरई, धनौरा, छपारा (सिवनी), बालाघाट, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- - तहसील कैलारस (मुरैना), लहार, रोन-मिहोना (भिण्ड), शिवपुरी, नरवर, पोहरी (शिवपुरी), ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, कुम्भराज (गुना), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव, बक्सवाहा (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), खुरई, देवरी, (सागर), जवेरा (दमोह), रघुराजनगर (सतना), कालापीपल (शाजापुर), कट्टीवाडा, चन्द्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), कुक्षी (धार) सेगांव (खरगौन), खण्डवा (खण्डवा), खकनार (बुरहानपुर), राजगढ़, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), कुरवाई, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), जोवट, इछावर (सीहोर), रायसेन, सिलवानी, बाडी (रायसेन), बैतूल, शाहपुर (बैतूल), होशंगाबाद (होशंगाबाद), हरदा (हरदा), पाटन, कुण्डम (जबलपुर), जुन्नारदेव, पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- - तहसील मुंगावली (अशोकनगर), आरोन (गुना), बीना, सागर, राहतगढ़, मालथोन (सागर), दमोह (दमोह), शाजापुर (शाजापुर), किरन्या (खरगौन), नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर (राजगढ़), आष्टा (सीहोर), गोहरगंज, उदयपुरा, बरेली (रायसेन), जबलपुर, मझौली (जबलपुर), चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक- - तहसील अशोकनगर, चंदेरी (अशोकनगर), श्यामपुर (सीहोर), गैरतगंज (रायसेन), मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर धान रोपाई चालू, पन्ना, दमोह, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, जबलपुर में जुताई कार्य चालू है.

3. बोनी.- जिला शाजापुर में कपास की व ग्वालियर, गुना, बड़वानी, शाजापुर, नरसिंहपुर, सिवनी में बोनी का कार्य चालू है.

4. फसल स्थिति- . .

5. कटाई.- जिला होशंगाबाद में मूंग की एवं पन्ना में रबी फसल की कटाई कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, सिवनी, छिन्दवाड़ा की तहसील तामिया में पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 जून, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	11.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	1.0		(2) . .	चारा उपलब्ध	
3. मुरैना	8.8			हो रहा है.	
4. जौरा	8.0				
5. सबलगढ़	04.0				
6. कैलारस	20.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा उपलब्ध	
3. विजयपुर	5.0			हो रहा है.	
3.जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	1.0		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	8.1		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा उपलब्ध	
3. गोहद	5.0			हो रहा है.	
4. मेहगांव	4.5				
5. लहार	31.1				
6. मिहोना 7. रौन	32.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, बोनी चालू, रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा उपलब्ध	
3. भितरवार	. .			हो रहा है.	
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		सरसों, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	19.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	4.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	6.0				
4. नरवर	30.0				
5. करैरा	11.5				
6. कोलारस	2.0				
7. पोहरी	25.0				
8. बदरवास	7.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	47.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	18.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	54.0				
4. चन्देरी	55.0				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	23.4		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	6.0		मूंग, समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	41.0				
5. चाचौड़ा	4.0				
6. कुम्भराज	31.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	17.0				
4. टीकमगढ़	27.0				
5. बल्देवगढ़	15.0				
6. पलेरा	2.0				
7. ओरछा	2.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा उपलब्ध है.	
3. नौगांव	17.7				
4. छतरपुर	14.4				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	1.0				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	20.2				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. रबी फसलों	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	8.8	का कटाई कार्य चालू.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	18.7		(2) . .	चारा उपलब्ध है.	
3. गुन्नौर	2.0				
4. पवई	5.0				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	41.8		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	27.2		तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी	चारा उपलब्ध है.	
3. बण्डा	14.0		अधिक.		
4. सागर	45.4		(2) उपरोक्त फसलें अधिक.		
5. रेहली	2.0				
6. देवरी	27.0				
7. गढ़ाकोटा	6.2				
8. राहतगढ़	37.0				
9. केसली	4.4				
10. मालथोन	50.0				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	12.0		4. (1) गन्ना, मूँग, जायद, उड़द जायद सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा उपलब्ध है.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. दमोह	41.0				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	19.0				
6. तेन्दूखेड़ा	15.2				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	32.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	4.4				
5. उचेहरा	6.0				
6. अमरपाटन	2.0				
7. रामनगर	8.0				
8. मैहर	15.0				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) मसूर, चना, गेहूँ सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	4.2		4. (1) अलसी, चना, सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	2.0				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	3.5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासराटप्पा	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	13.0				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	2.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	6.0				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .	चालू.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	38.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	30.0				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	1.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	20.0				
4. च. शे. आ. नगर	30.8				
5. सोंडवा	. .				
6. उदयगढ़	1.0				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	8.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	4.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	31.5				
5. मनावर	3.0				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	1.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	0.7		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	0.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	20.0				
4. खरगौन	7.4				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	7.0				
8. भीकनगांव	14.0				
9. झिरन्या	54.7				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बड़वानी	13.6		4. (1) मक्का, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		ज्वार, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. बरला	. .				
7. पाटी	. .				
8. अंजड	. .				
9. निवाली	. .				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	24.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	12.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	13.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	27.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	39.2				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	40.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	24.2				
4. ब्यावरा	5.6				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	26.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	15.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	30.0				
4. बासोदा	2.8				
5. नटेरन	24.0				
6. विदिशा	19.2				
7. गुलाबगंज	32.0				
8. ग्यारसपुर	10.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	12.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	7.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्यामपुर	69.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सीहोर	13.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जावर	28.0				
4. आष्टा	43.0				
5. इच्छावर	26.0				
6. रेहटी	14.0				
7. नसरूल्लागंज	9.0				
8. बुधनी	15.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	27.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	74.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	17.0				
4. गोहरगंज	53.0				
5. बरेली	45.0				
6. सिलवानी	18.0				
7. बाड़ी	20.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	51.3				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	8.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	27.2				
4. चिचोली	7.2				
5. बैतूल	29.4				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	3.3				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. मूंग, जायद	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	1.0	की कटाई चालू.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	19.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	6.0				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	10.2				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	12.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. हरदा	33.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	1.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	15.2				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	14.4		4. (1) उड़द, मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	25.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	40.7				
4. मझोली	49.5				
5. कुण्डम	21.0				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	13.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	4.2				
4. मण्डला	1.8				
5. घुघरी	8.1				
6. नारायणगंज	4.2				
48.जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. तह. तामिया	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	13.8		4. (1) . .	में अपर्याप्त,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	19.0		(2) . .	शेष में पर्याप्त.	
3. परासिया	. .			6. संतोषप्रद,	
4. चांद	1.8			चारा पर्याप्त.	
5. तामिया	1.0				
6. सोंसर	. .				
7. उमरेठ	11.8				
8. पांढुर्णा	23.4				
9. अमरवाड़ा	2.0				
10. चौरई	49.6				
11. बिछुआ	1.3				
12. हर्रई	14.4				
13. मोहखेड़ा	54.0				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	23.6	चालू.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	15.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादोन	5.4				
4. बरघाट	5.4				
5. कुरई	2.0				
6. घंसोर	51.0				
7. घनोरा	3.4				
8. छपारा	1.3				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	6.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिरसा	. .				
4. बैहर	. .				
5. लालबर्रा	. .				
6. वारासिवनी	. .				
7. खैरलाँजी	. .				
8. कटंगी	8.5				
9. परसवाड़ा	. .				
10. किरनापुर	. .				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1639)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.